

मांग संख्या 17
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

नवीन जिला कार्यालय हेतु 3 नवीन वाहन क्रय करने पर ₹ 16.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 16,50,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने पर ₹ 900.00 लाख तथा परम्परागत गौ पालन के लिए 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 2.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने पर ₹ 150.00 लाख कुल ₹ 1050.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 10,50,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 3

प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु आर्थिक सहायता पर ₹ 2.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,50,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 4

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण हेतु 2 नवीन वाहन क्रय हेतु ₹ 11.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 11,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4425

मद क्रमांक 5

प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 5,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 6425

मद क्रमांक 6

प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 5,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने पर ₹ 684.00 लाख का तथा परम्परागत गौ पालन के लिए 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ₹ 2.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने पर ₹ 114.00 लाख कुल ₹ 798.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 7,98,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों को विभिन्न व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए तथा आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता पर ₹ 2.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,50,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4425

मद क्रमांक 3

प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 5,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 6425

मद क्रमांक 4

प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 5,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2425

मद कर्मांक 1

कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने पर ₹ 216.00 लाख तथा परम्परागत गौ पालन के लिए 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 2.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने पर ₹ 36.00 लाख कुल ₹ 252.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,52,00,000 का प्रावधान किया गया है।